बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–43 / 2016– 550 / कृ0, पटना दिनांक 03-02-, 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परांमर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य बीज निगम को प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए शेरघाटी (गया) में नवनिर्मित भवन में 4 टी0पी0एच0 प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना हेतु 155.96 लाख (एक करोड़ पचपन लाख छियानवे हजार) रू0 की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य बीज निगम को प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए शेरघाटी (गया) में नवनिर्मित भवन में 4 टी0पी0एच0 प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना हेतु 155.96 लाख (एक करोड़ पचपन लाख छियानवे हजार) रू0 की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. शेरघाटी (गया) में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा नवनिर्मित भवन में 4 टी0पी0एच0 क्षमता के प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय बीज निगम लि0 से MOU के माध्यम से किया जायेगा।

3. राष्ट्रीय बीज निगम लि0 वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पोषित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम "Assistance for Boosting Seed Production in Private Sector" के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी है। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लि0 के अध्यक्ष –सह– प्रबंध निदेशक तथा अन्य पदाधिकारियों से प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना संबंधित अनुरोध के आलोक में निदेशक, वित्त, राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली द्वारा पत्र सं0– 12 (2) / एन0एस0सी0– अभिं / बी0आर0बी0एन0 / 2015–16 दिनांक 02.12.16 द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की लागत एवं अन्य विवरणी की सूचना उपलब्ध करायी गयी है(अनुसूची–1)।उक्त आलोक में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. राष्ट्रीय बीज निगम लि0 से MOU के माध्यम से 4 टी0पी0एच0 क्षमता के संयंत्र लगाने का कुल खर्च जो प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम द्वारा मांग की गयी है, निम्नवत है–

1. 4 टी0पी0एच0 क्षमता के संयंत्र पर लागत = 140.00 लाख रू0
2. उक्त पर एन0एस0सी0 द्वारा 10 प्रतिशत शुल्क= 14.00 लाख रू0
3. उक्त 10 प्रतिशत शुल्क पर सर्विस चार्ज (@14%)=1.96 लाख रू0

कुल लागत=155.96 लाख रू0

5. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य बीज निगम द्वारा ससमय किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा कार्यान्वयन अनुदेश में यथाआवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

E:\ABHINAV\2016-17\Adharbhut sanrachna BRBN 2016-17.docx

6. राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा संबंधित कोषागार से की जाएगी तथा बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0ए0 खाता संख्या–271 में आंतरित की जायेगी।

7. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103–बीज मांग सं0–01 उपशीर्ष– 0109–बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय विपत्र कोड P2401001030109 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR 5682 विषय शीर्ष– 3105 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण	1221.26	121.65
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष– 00 लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग सं0–01 उपशीर्ष–0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007890117 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR 5015 विषय शीर्ष–3105 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण	313.15	31.19
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मांग सं0–01, उपशीर्ष–0140–बीज उत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007960140 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR 5015 विषय शीर्ष–3105 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण	31.31	3.12
योग	**1565.72**	**155.96**

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–43/2016 के पृ0सं0– 25/टि० पर दिनांक– 02.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3.2.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–43/2016 550 /कृ0, पटना, दिनांक 03-02-, 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.2.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–43/2016 550 /कृ0, पटना, दिनांक 03-02-, 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.2.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\Adharbhut sanrachna BRBN 2016-17.docx

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–43/2016 550 /कृ0, पटना, दिनांक 03-02-, 2017

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3-2-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–43/2016 550 /कृ0, पटना, दिनांक 03-02-, 2017

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3-2-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2016-17\Adharbhut sanrachna BRBN 2016-17.docx